न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2022(रसद) (GCMS 2022/321)	14.09.2022	23.07.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. भैरूसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी मोरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज.)।
   (कार्यवाही समाप्त 23.07.2024)
2. पुरूषोत्तम सोनी निवासी गुवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज.)।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी हीरालाल जाट

पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 254/1999 दिनांक 08.09.1999 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा सामग्री 15 गैस सिलेण्डर के निस्तारण बाबत प्रस्तुत किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। दिनांक 23.07.2024 को विपक्षी संख्या 02 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं विपक्षी संख्या 1 का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। इस पर विपक्षी संख्या 1 के फौत हो जाने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। इस पर हाजिर अधिवक्ता विपक्षी ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया। इस पर हाजिर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

08.09.1999 को देवकरण चौधरी पुलिस उपाधीक्षक वृत्त कपासन द्वारा अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का दौरा करने हेतु जाशमा रोड से आगे गांव भगवानपुरा के नजदीक जाशमा के निकट एक जीप **C 718** जो आगे–आगे चल रही थी, जिसको संदेह के आधार पर रूकवा कर वाहन की तलाशी ली गई जिसमें इण्डेन गैस एजेन्सी के कुल 15 गैस सिलेण्डर परिवहन करते हुये पाया गया। इस बारे में आवश्यक दस्तावेज मांगे गये जो विपक्षी संख्या 01 वाहन चालक के पास उपलब्ध नहीं थे न ही इन सिलेण्डर के बिल आदि प्रस्तुत किये गये जिनको तत्समय जब्त किये गये। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर में 11 सिलेण्डर खाली एवं 4 भरे हुये सिलेण्डर थे।

प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपासन द्वारा उनके प्रकरण संख्या 008/2000 दिनांक 08.07.2022 से जब्तशुदा सामग्री के सक्षम न्यायालय से निस्तारण के निर्देश दिये गये है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा 15 गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर अधिवक्ता विपक्षी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि संबंधित प्रकरण का सक्षम न्यायालय से निस्तारण किया जा चुका है एवं जब्तशुदा सिलेण्डर का विपक्षी से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा विपक्षी के कब्जे में 15 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 15 घरेलु गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 08.09.1992 को पुलिस उपाधीक्षक वृत्त कपासन द्वारा जब्त शुदा 15 घरेलु गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ उक्त गैस सिलेण्डरों को थानाधिकारी पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.07.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़